Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सोनभद्र जिले में मनरेगा का क्रियान्वयन : एक सामाजिक अंकेक्षण

डॉ. गुंजन श्रीवास्तव*

* सहायक प्रवक्ता (समाज शास्त्र) दि महाराजा सैय्याजी राव विश्वविद्यालय, वड़ौदरा (गुजरात) भारत

प्रस्तावना – सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं में वर्तमान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना मनरेगा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (नरेगा) 7 सितम्बर 2005 को अधिसूचित किया गया था। प्रथम चरण में यह सुविधा 200 जिलों में उपलब्ध करायी गई थी। अगले 3 वर्षो में क्रमिक रूप से 600 जिलों में इसे लागू करना था। वर्ष 2007–08 में इस कानून का विस्तार 330 अतिरिक्त जिलों में किया गया, जबकि बाकी जिलों को इसमें शामिल करने की अधिसूचना 01 अप्रैल 2008 को जारी की गई।

भारत सरकार द्वारा नरेगा उत्तर प्रदेश राज्य में 2 फरवरी 2006 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का अकुशल श्रमिक के रूप में रोजगार प्रदान करने की गारंटी के रूप में प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में मनरेगा श्रमिको की औसत मजदूरी 289/– रुपये प्रतिदिन हो गई है। तदुपरान्त शीघ्र ही यह योजना राज्य के 22 जिलों में 5 वर्ष के लिए शुरु की गई, ये जिले आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, खेरी, कुशी नगर, ललितपुर, महोबा, मिर्जापर, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, सोनभद्र हैं।

सोनभद्र जिले का भौगोलिक, प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक विवरण : भारत देश के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 16.61 करोड़ तथा क्षेत्रफल 241 हजार वर्ग किलोमीटर है। राज्य के कुल 70 जिलों में सोनभद्र मात्र एक ऐसा जनपद है, जहाँ सबसे ज्यादा प्राकृतिक खनिज, जल ऊर्जा, वन सम्पदा एवं प्राकृतिक सुन्दरता मौजूद है। सोनभद्र का क्षेत्रफल 6.788 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रारम्भ से ही जनजातिय संस्कृति का केन्द्र रहा है। सोनभद्र जनपद का सृजन 4 मार्च 1989 को किया गया था। यह 23.52 और 25.32 उत्तरी अंक्षाश तथा 82.33 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसकी सीमा बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से मिलती है। यहाँ औसत वर्षा 1134 मिलीमीटर आंकी गई है। अधिकांशत: पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जल संचय का कोई उचित प्रबन्ध न होने के कारण हर वर्ष जनपद को सुखे का सामना करना पड़ता है।

प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से जनपद को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है– उत्तर की गंगा, सोन, कर्मनाशा और बेलन का मैदानी भाग, दक्षिण का सोन, रेण, बिजुल, कनहर से प्रभावित कैमूर रेंज का पठारी भाग, पूरब का बेलन, कर्मनाशा का मैदानी भाग तथा पश्चिम का बेलन का मैदानी भाग। दुद्धी, नगवा, घोरावल, अगोरी आदि का अधिकतम भाग वनों से आच्छादित है। जनपद के 75 प्रतिशत भागों में वन है जिनसे इमारती लकड़िया, आँवला, हर्रा, बहेड़ा, मछुआ, बीड़ी, पत्ता, आम आदि वस्तुएँ प्राप्त की जाती है। जनपद का 25 प्रतिशत भाग मैदानी है, जहाँ खेती–बारी होती है।

सारिणी संख्या–1: सोनभद्र जिले की जनांकिकी, सामाजिक व आर्थिक स्थिति

		पुरुष	महिला	योग
1.	जनसंख्या (हजार में)	971.34	891.21	1862.60
2.	साक्षरता दर	74.92%	52.14%	64%
3.	गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की संख्या (1997–98)	163893 (ग्रामीण)	6898 (नगरीय)	170791
4.	अनुसूचित जाति (हजार में)	–	–	421.66
5.	अनुसूचित जनजाति (हजार में)	–	–	385.02

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद–सोनभद्र, कार्यालय–अर्थ एवं सांख्याधिकारी अर्थ एवं संख्या प्रभाग, वर्ष 2005

नोट : उपर्युक्त आँकड़े जनपद के वर्ष 2011 के जनगणना के आँकड़ो पर आधारित है तथा निर्धनता रेखा के नीचे के परिवारों की संख्या का आधार 1997–98 वर्ष है।

शोध प्रारुप : सोनभद्र में कुल 8 विकास खण्ड है; दुद्धी, घोरावल, राबर्ट्सगंज, चतरा, नगवा, चोपन, श्योरपुर, वभनी। पूरे ब्लॉको में से एक ब्लॉक नगवा का चुनाव साधारण दैवनिदर्शन पद्धति द्वारा (Simple Random Sampling Method) किया गया। इस ब्लॉक के सम्पूर्ण गाँवों में से केवल दो गाँव का चयन उद्देशीय विधि द्वारा किया गया था, जो कि नक्सलवादी क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। इस सर्वेक्षण हेतु जुलाई, 2008 में अध्ययन क्षेत्र में जाया गया। तत्पश्चात् साक्षात्कार पूर्व निरीक्षित किये हुए प्रश्नावली का प्रयोग करके परिवार के मुखिया से मनरेगा से सम्बन्धित क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जिसको प्रस्तुत अध्ययन में विश्लेषण द्वारा मनरेगा से सम्बन्धित योजनाओं के उपयोग एवं प्राप्त होने वाले सुविधाओं के बारे में प्रदर्शित किया है, जिसके अन्तर्गत दो गाँवों रामपुर तथा करौंदिया के 284 परिवारों का अध्ययन शामिल है। व्यैक्तिक सूचना पुन: सर्वेक्षण क्षेत्र में अक्टुबर 2009 में एकत्रित किया गया था, जिसके अन्तर्गत दोनों गाँवों के 100 व्यक्तियों का अध्ययन शामिल है जो कि मनरेगा के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे थे और इन सूचनाओं को श्रेणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र मनरेगा के अन्तर्गत कार्योजित मजदूरों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में होने वाले व्यापक परिवर्तन पर आधारित है।

मनरेगा के अन्तर्गत प्रदत्ता आय-व्यय का विवरण : सोनभद्र में मनरेगा का प्रारम्भ 2 फरवरी 2006 को प्रथम चरण के साथ ही हुआ था। अप्रैल 2010 तक नगवा ब्लॉक के रामपुर व करौंदिया गाँवों के लिए अवमुक्त राशि क्रमश: 3.28 तथा 6.31 लाख रुपये हैं, जबकि सम्पूर्ण सोनभद्र क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा के लिए आवंटित राशि 10262.85 लाख रुपये हैं जिनमें चालू वित्तीय वर्ष (2009-10) के द्वारा हुआ खर्च मात्र 3258.91 लाख रुपये ही है। सारणी-2 से प्राप्त सरकारी आँकड़े इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि वर्ष 2006-07, वर्ष 2007-08 व वर्ष 2008-09 के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत सरकार द्वारा

सारिणी संख्या-2: विभिन्न वित्तीय वर्षो के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों पर किये गये खर्च का विवरण

	खर्च का विवरण(लाख रुपये में)	2006-07	2007-08	2008-09
1.	प्रारम्भिक अवशेष धनराशि	0	0.657	2.94
2.	वर्ष में प्राप्त धनराशि	3.08	13.95	21.72
3.	अन्य प्राप्तियाँ (ब्याज सहित)	0.00	0.00	0.02
4.	कुल उपलब्ध धनराशि	3.08	14.63	24.60
5.	कुल व्यय धनराशि	2.44	10.57	24.12
6.	कुल व्यय धनराशि के सापेक्ष श्रम एवं सामग्री पर व्यय धनराशि का अनुपात	62: 37	62:38	49 : 51

स्रोत : www.sonbhadra.nic.in

सारिणी संख्या-3: मनरेगा के अनतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या व जानकारियों का वर्षवार विवरण

		2006-07	2007-08	2008-09
1.	कुल जॉबकार्ड धारक परिवारों की संख्या	198	410	410
2.	वर्ष के दौरान रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	48	75	115
3.	वर्ष के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या	48	75	115
4.	वर्ष के दौरान प्रति परिवार औसत कार्य दिवसों की संख्या	35	55	40
5.	बैंक/पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलने वाले परिवारों की संख्या	0	0	200
6.	वर्ष के दौरान 100 दिनों का रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या	0	5	12

सारिणी संख्या-4: मनरेगा से लाभान्वित होने वाले परिवारों का वर्गीकरण

लाभान्वित	संख्या	प्रतिशत
हाँ	102	35.90
नहीं	182	64.10
योग	284	100.00

सारिणी संख्या-5: रोजगार योजना में रोजगार प्राप्त सदस्यों की संख्या के अनुसार वर्गीकरण

सदस्य संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	64	62.70
2	29	28.40
3	7	6.90
4	2	2.00
योग	**102**	**100.00**

उपलब्ध करायी गई धनराशि पूर्ण रूप से व्यय नहीं की जा सकी और प्रत्येक वर्ष आवंटित धनराशि का कुछ अंश अवशेष रह गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि या तो सरकारी आँकड़ो को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया या फिर उस क्षेत्र में कार्य को आशानुरुप सम्पन्न नहीं कराया गया। एक अन्य तथ्य यह उजागर होता है कि इसकी नींव में भ्रष्टाचार फलित हो रही है। वर्ष 2006-07 व वर्ष 2007-08 के दौरान जहाँ श्रम पर व्यय सामग्री पर व्यय के अनुपात में अधिक है, किन्तु वहीं वर्ष 2008-09 में यह अन्तर काफी कम है जो कि श्रम व सामग्री पर व्यय के सन्दर्भ में भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करता है (द्रेज, ज्यां, खेड़ा, रीतिका व सिद्धार्थ, 2008)।

सारिणी-3 से स्पष्ट है कि मनरेगा के माध्यम से औसत 100 दिन के रोजगार का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। ग्राम पंचायत रामपुर में 2008-09 के दौरान पंजीकृत 410 परिवार है। वर्ष 2006-07 में 35 प्रतिशत, वर्ष 2007-08 में 55 प्रतिशत तथा वर्ष 2008-09 में 40 प्रतिशत कार्यदिवस प्रत्येक परिवार द्वारा निर्मित किये गये, जिनमें पूरे 100 दिन का रोजगार वर्ष 2006-07 में 0 प्रतिशत, वर्ष 2007-08 में 1.2 प्रतिशत तथा वर्ष 2008-09 में 2.92 प्रतिशत परिवारों को ही प्राप्त हुआ। आँकड़ो से स्पष्ट है कि ऐसे परिवार की संख्या बहुत कम है जिन्होंने वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया (कौशिक, जगबीर, 2010)।

सारिणी-4 व सारिणी-5 द्वारा जुलाई 2008 में मनरेगा से लाभान्वित परिवारों का वर्गीकरण स्पष्ट होता है, जिसमें 35.9 प्रतिशत परिवार ही मनरेगा से लाभान्वित हुए थे जिसमें 62.7 प्रतिशत लोग परिवार के एक मात्र सदस्य थे जो कि रोजगार प्राप्त कर सके थे, जिससे मनरेगा के अन्तर्गत प्राप्त मजदूरी में अनियमितता परिलक्षित होती है।

मनरेगा द्वारा लाभान्वित एवं प्रभावित व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं व्यैक्तिक विवरण का अध्ययन :

सारिणी संख्या-6: पारिवारिक मासिक आय तथा व्यय के अनुसार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

मासिक आय			मासिक व्यय		
आय (रु0)	संख्या	प्रतिशत	व्यय (रु0)	संख्या	प्रतिशत
200-900	127	44.7	300-900	82	28.9
900-1800	110	38.70	900-1800	135	47.5
1800-2700	32	11.30	1800-2700	37	13.00
2700-4500	15	5.30	2700-6000	30	10.60
योग	284	100.00		284	100.00

सारिणी संख्या-7: मनरेगा द्वारा लाभान्वित परिवारों पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के प्रभावों का वर्गीकरण

क्र.	विभिन्न प्रभाव	हाँ (%)	नहीं (%)	पता नहीं (%)
1	आर्थिक स्थिति में सुधार	25	65	10
2	भरण-पोषण में सहायक	10	80	10
3	ऋण भुगता में सहायक	45	50	5
4	चिकित्सा में सहायक	40	45	15
5	पारिवारिक कलह में वृद्धि	70	20	10
6	दहेज में वृद्धि	75	15	10
7	सामाजिक समरसत्ता में वृद्धि	65	18	17

नोट : उपर्युक्त आँकड़े अक्टुबर 2009 में किये गये पुन: सर्वेक्षण के दौरान व्यैक्तिक अध्ययन द्वारा लिये गये हैं, जिसमें 100 व्यक्तियों का अध्ययन सम्मिलित है।

जुलाई 2008 में किये गये सर्वेक्षण के दौरान 284 उत्तरदाताओं में 193 पुरुष व 91 महिलायें सम्मिलित की गई। प्रस्तुत सर्वेक्षण क्षेत्र में जनजातिय समुदाय की बाहुल्यता है, जहाँ पिछड़ा वर्ग 14.1 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति 15.1 प्रतिशत है, वहाँ जनजातियों का प्रतिशत 70.8 प्रतिशत के लगभग है। सारिणी संख्या-6 मासिक पारिवारिक आय-व्यय को स्पष्ट करता है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आय की तुलना में व्यय अधिक है क्योंकि जहाँ न्यूनतम मासिक पारिवारिक आय 200/- रुपये है वहीं न्यूनतम मासिक पारिवारिक व्यय 300/- रुपये हैं। दूसरी तरफ अधिकतम मासिक पारिवारिक आय 4500 रुपये व मासिक पारिवारिक व्यय 6000/- रुपये है अर्थात लगभग सभी परिवार जीविकोपार्जन हेतु कर्ज लेने के लिए विवश है।

सारिणी संख्या-7 से स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों में से 45 प्रतिशत ग्रामीण निर्धन ऋण भुगतान कर पाने में सक्षम सिद्ध हो रहे हैं; वहीं इसका दूसरा पक्ष यह दर्शाता है कि मनरेगा के द्वारा ग्रामीण ऋण ग्रस्तता को प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में भी साहूकार प्रथा व्याप्त है, जिनके द्वारा मनमाने ब्याज दर पर ग्रामीण निर्धनों को कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है (अधिकारी, अनन्दिता और भाटिया, कार्तिका : 2010)। सामान्य मजदूर यह सोचता है कि भविष्य में काम मिलने पर वह इसे चुका सकने में सक्षम सिद्ध होगा। किन्तु जब भविष्य में उसे काम प्राप्त नहीं हो पाता तो उसकी स्थिति पहले से ज्यादा बदतर हो जाती है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा, जब विरासत में उसे धन, सम्पत्ति, जमीन प्राप्त न होकर कर्जा प्राप्त होगा और निर्धनता का दुष्चक्र पूर्व रूप में कायम रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी निरन्तर चलता रहेगा। रामपुर ग्राम पंचायत की दौलतिया (35 वर्ष) अब काफी खुश है। उसका कहना है कि 'फाकाकशी के दिन लद गये तो छोटका बेटा कलुआ स्कूल जाने लगा है और हम दो साल से सोचते-सोचते रेड़ियो भी खरीद लिये।' इससे स्पष्ट है कि मनरेगा के द्वारा एक तरफ तो ग्रामीणों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है वहीं दूसरी ओर अधिक से अधिक मजदूरी प्राप्त करने की लालसा में ये बाल श्रम को भी प्रोत्साहित कर रहा है। 40 वर्षीय विधवा सतवंशी अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर है।

मनरेगा ने ग्रामीणों को खरीद क्षमता तथा आमदनी को भी प्रभावित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी की दर और कार्यदिवसों की संख्या में वृद्धि से ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ गई है। आमदनी बढ़ने के फलस्वरुप ग्रामीण परिवारो की अनाज, अन्य आवश्यक वस्तुएँ खरीदने और शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखभाल करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। (देखे सारिणी-5, सारिणी-6, सारिणी-7) मनरेगा के माध्यम से प्राप्त मजदूरी के द्वारा ग्रामीण अपने कृषि के लिए आवश्यक निवेश (खाद, बीज व कीटनाशक आदि) का खर्च वहन कर पा रहे हैं, इसके साथ ही उनके पास जो भी भूमि उपलब्ध है, उसमें सब्जियों या कम मौसमी चक्र वाले फसल लगाकर अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लायक थोड़ा बहुत अन्न या सब्जियाँ अवश्य उपजा ले रहे हैं, जबकि इससे पूर्व गाँव में इनकी भूमि अभिसिंचित व बंजर अवस्था में पड़ी रहती थी।

मनरेगा से प्राप्त मजदूरी वर्ष में अल्प समय के लिए ही सही पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराती है और जो लोग अक्सर फाके की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें भोजन उपलब्ध कराती है। करौंदिया पंचायत के बनारसी का कहना है कि 'भला हो सरकार व पंचायत का, जिन्होंने यहाँ काम चालू करवाकर मुझ जैसे भूमिहीन व्यक्ति को मजदूरी पर लगाया, जिससे मेरे घर-परिवार के लिए रोजी कमाने का आसरा मिला।'

सारिणी संख्या-7 से स्पष्ट है कि मनरेगा सामाजिक समरसत्ता का द्योतक भी सिद्ध हो रहा है क्योंकि मनरेगा के अन्तर्गत जातीय असमानता को प्राथमिकता न देकर निर्धनता को प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, ब्राह्मण सभी एक समान है, जिससे ग्रामीण भारत में व्याप्त जातीय गुट की अवधारणा स्वत: ही कमजोर सिद्ध हो रही है। मनरेगा के अन्तर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराया जा रहा है।

मनरेगा का सबसे बड़ा योगदान गाँवों के विकास में वहीं के ग्रामवासियों की सहभागिता तथा साथ में उन्हें रोजगार की प्राप्ति भी हुई है। मनरेगा के माध्यम से मजदूर अपना व अपने परिवार का खर्च वहन करने में सक्षम हो गया है, किन्तु मनरेगा का अन्य दुष्प्रभाव यह है कि यह ग्रामीणों के समक्ष सीमित काम को प्रस्तुत कर देगा। सरकार द्वारा 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण निर्धनों से तालाब बनवाया जा रहा है। स्कूल, भवन व सड़क आदि बनवाये जा रहे हैं किन्तु इसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है जो कि ग्रामीणों के जीवन में उत्तरोत्तार वृद्धि तय करें। प्रत्येक गाँव की कुछ पारम्परिक विशिष्टता होती है, सरकार द्वारा उस विशिष्टता को प्रशिक्षण द्वारा प्रोत्साहित न करके उन्हें ऐसे कार्यो में नियोजित किया जा रहा है, जिसकी एक सीमा है, जिससे उस क्षेत्र के पारम्परिक उद्योगों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अत: इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि योजना के अन्तर्गत कृत्रिम रोजगार की वृद्धि में मुख्य रोजगार की हानि होगी, इससे हानिकारक दुष्चक्र स्थापित हो सकता है। रोजगार गारंटी कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना था परन्तु इससे कार्यरत रोजगारों का ही क्षय होने लगा।

मनरेगा व महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति पर प्रभाव : सारिणी संख्या-8

सामाजिक समावेशन	2006-07	2007-08	2008-09
वर्ष में सृजित मानव दिवस	1613	4130	4599
(अ) कुल			
(ब) कुल में अनु0 जाति	45	43	155
(स) कुल में अनु0 जनजाति	1485	4032	8878
(स) कुल में महिलायें	785	1655	2105

स्रोत : www.sonbhadra.nic.in

रामपुर गाँव की कुल जनसंख्या 1428 में 704 पुरुष व 724 महिलायें हैं। अत: जनसंख्याओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषो की अपेक्षा अधिक है। साथ ही सारिणी संख्या-9 से स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत कुल सृजित मानव दिवसों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। जनजातिय क्षेत्रों में महिलाओं को अन्य समाज की अपेक्षा ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। लिये गये उत्तरदाताओं में 91 महिलायें व 193 पुरुष वर्ग है। मनरेगा के अन्तर्गत महिलाओं को प्राप्त सबसे प्रमुख लाभ आर्थिक आत्मनिर्भरता है, जिसके फलस्वरुप वह कई महत्वपूर्ण विषय पर स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो गई है। मनरेगा के माध्यम से महिलाओं के हाथों में पहुंचे धन तथा अनाज से '**मानव विकास सूचकांक**' में आशाजनक वृद्धि हुई है (कटारिया सुरेन्द्र : 2010)। सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि मनरेगा में मजदूरी कर रही महिलाओं ने अपनी आजीविका को पशु खरीदने, उनका उपचार कराने, बच्चों की पढ़ाई, रोगोपचार, पेयजल, पौष्टिक भोजन, बर्तनों तथा वर्षो से बची रही किसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति में लगाया। जबकि दूसरी तरफ पुरुष अपनी मजदूरी शराब सेवन करने पर व्यय करता है, जैसा कि सारणी संख्या-7 से स्पष्ट है कि इससे सामाजिक नैतिकता का पतन हुआ है और पारिवारिक कलह में वृद्धि हुई है। साथ ही मनरेगा के माध्यम से महिलायें आवश्यक घरेलू सामान जैसे सिलाई मशीन, बर्तन, कपड़े, गहने खरीद रही है किन्तु इससे दहेज को प्रोत्साहन मिल रहा है। सारिणी संख्या-7 के अनुसार 75 प्रतिशत ग्रामीणों का ऐसा मानना है।

मनरेगा का अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि पुरुष वर्ग धीरे-धीरे महिला वर्ग पर आश्रित होता जा रहा है तथा पुरुषो का बच्चों की शिक्षा, माता-पिता व परिवार की जिम्मेदारी से अलगाव होता जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं पर काम का बोझ अत्यन्त बढ़ गया है क्योंकि उन पर घरेलू व बाहरी काम दोनों का दबाव बढ़ गया है और उन पर दोहरा उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है, जिससे उनका शारीरिक एवं मानसिक दोहन हो रहा है, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि परिवार का सर्वांगीण विकास तभी सम्भव है, जबकि पति-पत्नी में परस्पर सहयोग हो किन्तु नकारात्मक सम्बन्ध बच्चों के पालन-पोषण पर दुष्प्रभाव डालती है।

रामपुर ग्राम पंचायत की महिला प्रधान मनभावती का कहना है कि 'इससे गाँव में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। महिलाओं की स्थिति में पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है, कम से कम छोटी-मोटी जरूरतों के लिए वह अब किसी की मोहताज नहीं है।' यद्यपि सर्वेक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कार्यस्थल पर महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई उचित प्रबन्ध नहीं कियागया क्योंकि न तो वहाँ शिशुओं की देख-रेख हेतु क्रेंच की व्यवस्था है और न ही कोई चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं को सामान्यत: पुरुषों की सहायक के रूप में पैसा दिया जाता है जो कि सामान्य मजदूरी से काफी कम होता है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के योगदान के बावजूद उन्हें कृषक का दर्जा प्रदान नहीं किया जाता। वहीं मनरेगा के अन्तर्गत महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जा रहा है (खैरा, रीतिका व नायक, नन्दिनी : 2009)।

मनरेगा और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव : रामपुर गाँव की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या जनजातिय हैं, अत: उनकी प्रकृति पर निर्भरता स्वत: ही सम्भव है। मनरेगा का उद्देश्य सामाजिक वानिकी में वृद्धि करना है चाहे वह जलसंरक्षण के अन्तर्गत तालाब अथवा बंधी के निर्माण द्वारा अथवा वनारोपण द्वारा। वन वर्षा एवं भूमिगत जल स्तर के लिए उत्तरदायी होते हैं। वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण सूखा रोकने के लिए अवश्य सम्भावी है। रामपुर व करौंदिया की सूची पड़ी पहाड़ियों को हरा-भर कर पर्यावरण सुधार का कार्य किया गया।

सारिणी संख्या-9: निर्मित स्रोत

कार्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09
बंधी 1 (अपूर्ण)	1 (अपूर्ण)	1 (अपूर्ण)	
तालाब	1	0	0
पौधारोपण	-	-	पूर्ण
निजी भूमि पर तालाब	0	1	3

स्रोत : www.sonbhadra.nic.in

इसी गाँव के कृषक जो अपनी जमीन बंजर जैसी होने के कारण मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे, इस योजना के अन्तर्गत बंधी व तालाब के निर्माण हो जाने के बाद जमीन को सिंचित बना सके। फसल की पैदावर एक चक्रक से बढ़कर तीन चक्र हो गई है।

रामपुर व करौंदिया गाँव में एक तरफ सार्वजनिक स्रोतों का निर्माण कियागया किन्तु जिन सार्वजनिक स्रोतों की अधिक आवश्यकता थी उनके स्थान पर महत्वहीन स्रोतों का निर्माण किया गया जिसमें पानी भी उपलब्ध नहीं है। रामपुर एक पहाड़ी गाँव है जिसमें खेत ढलान पर स्थित है। अत: वर्षा ऋतु में पानी का बहाव तीव्र गति से आता है और खेतों को विनष्ट कर देता है, ऐसे में गाँव में चेकडेम की अधिक आवश्यकता है, जबकि गाँव में 5 तालाबों का निर्माण कर दियागया है और बाँध के नाम पर मात्र 2 वह भी अपूर्ण बाँध है।

मनरेगा तथा नक्सलवाद :

सारिणी संख्या- 10: विकास योजनाओं से पूर्ण लाभ प्राप्त न होने में विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों का वर्गीकरण

क्र.	कठिनाईयाँ	संख्या (284)	प्रतिशत
1.	यातायात की असुविधा	240	84.5
2.	प्रधानों द्वारा अवहेलना/रिश्वतखोरी	200	70.4
3.	प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अवहेलना/रिश्वतखोरी	221	77.8
4.	गरीबी	150	52.8
5.	योजनाओं की जानकार का न होना	162	57.0
6.	शिक्षण संस्थाओं का न होना या दूर होना	68	28.9
7.	स्वास्थ्य/बिजली/पानी की सुविधा	118	41.5
8.	नक्सलियों/दलालों का भय	100	35.2

नक्सलवाद के प्रादुर्भाव का प्रत्येक राज्य में पृथक कारण है किन्तु मूलभूत कारण निर्धनता है और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों द्वारा निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान अवश्य सम्भव है। मनरेगा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसकी पहुँच देश के प्रमुख नक्सलवादी क्षेत्रों तक है। रामपुर-करौंदिया जाने वाली सड़क को कागजों पर कई बार बनाया गया। अब राष्ट्रीय समविकास योजना के अन्तर्गत 1.6 करोड़ की लागतसे बनने वाली सड़क आज भी अधूरी ही है किन्तु इस क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो में कोई बाधा नहीं पहुँचायी जाती। सारिणी

संख्या–10 से स्पष्ट है कि मनरेगा जैसी विकास योजना के पूर्ण लाभ प्राप्त न होने में विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों में 77.8 प्रतिशत लोगों का मानना है कि प्रशासनिक अधिकारी व रिश्वतखोर जिम्मेदार हैं। उसके पश्चात् 70.4 प्रतिशत प्रधानों को जिम्मेदार मानते हैं जबकि नक्सलियों के भय को मात्र 35.2 प्रतिशत लोग ही जिम्मेदार मानते हैं। अत: इससे स्पष्ट है कि नक्सलवाद को प्रोत्साहित करने में कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। पूर्व राष्ट्रगति वी0वी0 गिरि का मानना था कि 'बेरोजगारी सब समस्याओं की जड़ है। इसी के कारण देश में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है।' (कटारिया, सुरेन्द्र : 2010) बेरोजगारी व निर्धनता के परिणामस्वरुप जो युवा वर्ग नक्सलवादी गतिविधियों में संलग्न रहते थे, उनकी संख्या में भी काफी कमी आयी है, जो इस तथ्य को उजागर करता है कि यदि प्रकरणों का विकास होगा तो गाँव का विकास होगा जो भविष्य में नक्सलवाद को स्वत: समाप्ति की ओर अग्रसर होगा।

मनरेगा के माध्यम से पिछड़े गाँव विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिससे गाँव में दूरसंचार माध्यमों का आवागमन हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों के सम्पर्क में आने से उन्हें अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारी भी प्राप्त हो रही है। मनरेगा के अन्तर्गत प्राप्त मजदूरी से पुरुष मजदूरों द्वारा रेड़ियो, मोबाइल जैसे संचार के साधनों का प्रयोग भी बढ़ रहा है, जिससे उन्हें गाँव से बाहर देश के अन्य भागों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी होती है जिससे उनमें जागरुकता में वृद्धि होती है और अज्ञानता में कमी आती है, क्योंकि नक्सलवादियों द्वारा सामान्यत: उनकी अशिक्षा व अज्ञानता का ही लाभ उठाया जाता है।

निष्कर्ष व सुझाव : उपर्युक्त सर्वेक्षण के माध्यम से कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है, स्थानीय दबंग एवं प्रभावी व्यक्तियों एवं अन्य निहित स्वार्थो पर कितना प्रभावी अंकुश लगा है? योजना के लक्षित लाभान्वित दुर्बल–गरीब वर्ग के लोग योजना का कितना लाभ उठा पा रहे हैं? अपने अधिकारों एवं हकों की पहचान करने की कितनी जागरुकता उनमें आयी है? क्रियान्वयन से जुड़ी प्रक्रियाओं में कितनी सहभागिता दुर्बल–लाभान्वित वर्ग को मिल पा रा है? मनरेगा के सन्दर्भ में कुछ सुझाव निम्न है:

1. मनरेगा ग्रामीणों को सीमित कार्य उपलब्ध कराता है, जिसके फलस्वरुप उनके परम्परागत व्यवसायों को क्षति पहुँच रही है। अत: मनरेगा के अन्तर्गत ऐसे प्रावधानों को सम्मिलित करना आवश्यक हैं जिससे स्थानीय संसाधनों का दोहन भलीभांति हो सके और वे स्वयं के आय सृजन में सक्षम हो सकें व जिससे उनके जीवन को एक गति व निरन्तरता प्राप्त हो सके।
2. मनरेगा का उद्देश्य अधिकारों से वंचित समूह को समान अधिकार उपलब्ध कराना है ताकि वे जीवन–यापन के न्यूनतम जीवन–स्तर को प्राप्त कर सकें। इसके अन्तर्गत मजदूरी में वृद्धि करना व बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराना सम्मिलित किया जाये ताकि इससे जुड़ने वाले व्यक्ति को किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो और सामाजिक शोषण से भी उनकी रक्षा की जा सके।
3. ग्राम सभा का उपयोग मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण में अधिक सार्थक रूप से किया जा सकता है। यदि ग्राम सभा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की जानकारी एवं जागरुकता के स्तर को इस उद्देश्य के साथ बढ़ाया जाये कि वे मनरेगा का काम लेते हुए उसकी कमियों को इंगित कर सके।
4. ग्रामीण जनता में शिक्षा जानकारी एवं जागरुकता बढ़ाकर उन्हें 'शासित' वाली मानसिकता से उबारना है तथा अपने हक व अधिकारों को पहचान कर सामाजिक अंकेक्षण में प्रभावी जनसहभागिता करने में सक्षम बनाना है तो दूसरी ओर क्रियान्वयन तंत्र को पारदर्शी, जवाबदेह एवं संवेदनशील बनाने तथा उसमें सामाजिक अंकेक्षण की स्वीकार्यता बढ़ाकर उसे शासक वाली मनोवृत्ति से निकालकर लोक–सेवक मनोवृत्ति में ढालने की तरफ उन्मुख करना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. अधिकारी, अनिन्दता और भाटिया, कार्तिका, 2010,'नरेगा वेज पेमेन्ट्स : केन वी बैक ऑन द बैंक्स', इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीक्ली, xiv(1), 2 जनवरी : 30–37।
2. द्रेज, ज्यां; खेड़ा, रीतिका; सिद्धार्थ, 2008,'नरेगा में भ्रष्टाचार : मिथक और वास्तविकता', योजना वर्ष : 53(8), अगस्त : 15–16।
3. खेरा, रीतिका और नायक, नन्दिनी 2009 :'वूमेन वर्कर्स एण्ड पर्सेप्शन्स ऑफ द नेशनल रूरल इम्प्लायमेन्ट गारंटी एक्ट', इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीक्ली,xiv(43) 24 अक्टुबर : 49–57।
4. केसरी, अर्जुनदास, 1994,'यह सोनभद्र है', लोकरुचि प्रकाशन, सोनभद्र।
5. सिंह, रघुवंश प्रसाद, 2008, 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दो साल', योजना वर्ष : 53(8), अगस्त : 7–10।
6. सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, कार्यालय अर्थ वं सांख्याधिकारी अर्थ व संख्या प्रभाग, वर्ष 2005।
7. www.sonbhadra.nic.in
8. कौशिक, जगबीर, 2009,'नरेगा गरीबो का सुरक्षा कवच', कुरुक्षेत्र, वर्ष : 56(2), दिसबर : 3–8।
9. कटारिया, सुरेन्द्र, 2009,'आर्थिक मंदी से जूझने में नरेगा का योगदान', कुरुक्षेत्र, वर्ष: 56(2), दिसबर : 9–12।

****